



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 3, 1983/ भाद्र 12, 1905

No. 36]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 3, 1983/BHADRA 12, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1983

सां०कां०नि० 639.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परलोक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना क्र०, गृह मंत्रालय में कार्य के परिपत्रों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिसूचना क्र० (सर्विस) भर्ती नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाखण्ड अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं . वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(1923)

shore at the appointed place, labour for loading of garbage from vessel and unloading of the garbage from Boat to shore, charges for the use of lifting gear

if any, transporting from landing point to the city garbage dump."

[PW]PGL-49|82]

A.N. SAKSENA, Director.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1983

सा० का० नि० 652 -- राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के परत्युक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी, समूह "क" अर्थात् नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् --

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, समूह "क" अर्थात् (द्वितीय संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी समूह "क" अर्थात् नियम, 1983 की अनुसूची में विशेष कार्य अधिकारी (कार्यिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 19 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात् --

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में ओड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन अनुसूचित है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
1	2	3	4	5	6	7	7 (क) (8)
19. उपनिदेशक (प्रशासन) (कल्याण)	1* (1983)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोत्सर्ग की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवर्तन परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती या प्रोत्सर्ग द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्वान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी होगी	प्रोत्सर्ग/प्रतिनियुक्ति/स्वान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेष्ठियाँ/जिनसे प्रोत्सर्ग/प्रतिनियुक्ति/स्वान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोत्सर्ग समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
9	10	11	12	13	14		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्वान्तरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्वान्तरण : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जो सर्वत्र पद धारण किए हुए हैं या (ii) जिन्होंने 700--1300 रु० या समतुल्य वेतनमान	लागू नहीं होता	चयन, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।		

- वाले पदों पर 6 वर्ष सेवा की है, या
- (iii) जिसने 650-1200 रु० या समतुल्य धेनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है और
- (ख) जिनके पास श्रम विधियों के प्रचालन और महत्वपूर्ण विषयों का अनुभव है।
- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति के ठीक पूर्व उसी संवत्/विभाग में किसी अन्य काष्ठर या पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सम्मिलित है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

[सं० 19011/12/81-बी (ए)]

जगदीहन साहू माधुर, अवर सचिव

*श्रम विधम, अर्थात्, आकाशवाणी (समूह "क" पत्र)

श्रम विधम, 1963, सां० का० नि० सं० 24, तारीख 13-12-1963 के अख्तियार प्रकाशित किए गए। तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए हैं :-

1. अधिसूचना सं० 11/8/62-बी (ए), तारीख 9-4-1964
2. अधिसूचना सं० 11/11/62-बी (ए), तारीख 18-6-1964
3. अधिसूचना सं० 5/24/63-बी (ए), तारीख 31-8-1965
4. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी (ए), तारीख 17-9-1965
5. अधिसूचना सं० 11/2/64-बी (ए), तारीख 27-11-1965 (सां० का० नि० सं० 1820, तारीख 11-12-65)
6. अधिसूचना सं० 13/78/62-बी (ए), तारीख, 30-11-1965
7. अधिसूचना सं० 5/15/65-बी (ए), तारीख 28-7-1965
8. अधिसूचना सं० 11/8/65-बी (ए), तारीख 9-9-1966
9. अधिसूचना सं० 5-3/87-बी (ए), तारीख 7-10-1967
10. अधिसूचना सं० 6/107/83-टीबी०, तारीख 3-7-1968
11. अधिसूचना सं० 11/5/68-बी (ए), तारीख 13-9-1968
12. अधिसूचना सं० 7/5/68-बी (ए), तारीख 9-10-1968
13. अधिसूचना सं० 5/12/1968-बी (ए), तारीख 14-11-1968
14. अधिसूचना सं० 17/8/68-बी (ए), तारीख 6-6-1969
15. अधिसूचना सं० 17-6-68-बी (ए), तारीख 4-6-1969
16. अधिसूचना सं० 11/5/65-बी (ए), तारीख 2-9-1969
17. अधिसूचना सं० 17/2/69-बी (ए), तारीख 19-11-1969
18. अधिसूचना सं० 17/1/69-बी (ए), तारीख 23-2-1970
19. अधिसूचना सं० 17/3/69-बी (ए), तारीख 16-9-1970
20. अधिसूचना सं० 1/2/70-बी (ए), तारीख 18-2-1971
21. अधिसूचना सं० 5/12/69-बी (ए), तारीख 22-3-1971
22. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी (ए), तारीख 6-12-1971
23. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी (ए), तारीख 10-1-1972
24. अधिसूचना सं० 1/3/70-बी (ए), तारीख 18-5-1972
25. अधिसूचना सं० 1/9/71-बी (ए), तारीख 6-6-1972
26. अधिसूचना सं० 5/12/68-बी (ए), तारीख 13-6-1972
27. अधिसूचना सं० 1/6/71-बी (ए), तारीख 30-9-1972
28. अधिसूचना सं० 1/6/70-बी (ए), तारीख 6-12-1972
29. अधिसूचना सं० 1/8/71-बी (ए), तारीख 30-9-1972
30. अधिसूचना सं० 5/39/70-बी (ए), तारीख 3-1-1973
31. अधिसूचना सं० 1/4/73-बी (ए), तारीख 2-6-1973

32. अधिसूचना सं० 1/10/71-बी(ए), तारीख 10-9-1973
 33. अधिसूचना सं० 1/3/73-बी(ए), तारीख 29-9-1973
 34. अधिसूचना सं० 1/2/71-बी(ए), तारीख 26-10-1974 (सां कां नि० सं० 1195, 9-11-74)
 35. अधिसूचना सं० 5/33/70-बी(ए), तारीख 30-10-1974 (सां कां नि० 1220, 16-11-74)
 36. अधिसूचना सं० 1/18/73-बी(ए), तारीख 18-11-1974
 37. अधिसूचना सं० 5/17/74-बी(ए), तारीख 13-2-1975 (सां कां नि० सं० 267, 23-2-75)
 38. अधिसूचना सं० 5/66/73-बी(ए), तारीख 5-4-1975
 39. अधिसूचना सं० 1/1/71-बी(ए), तारीख 30-6-1975 (सां कां नि० सं० 395, 19-7-75)
 40. अधिसूचना सं० 13/75-बी(ए), तारीख 19-12-1975
 41. अधिसूचना सं० 1/8/75-बी(ए), तारीख 20-2-1976
 42. अधिसूचना सं० 5/4/75-बी(ए), तारीख 23-3-1976
 43. अधिसूचना सं० 5/10/76-बी(ए), तारीख 7-5-1976
 44. अधिसूचना सं० 1/1/73-बी(ए), तारीख 10-7-1976
 45. अधिसूचना सं० 12019/5/76-बी(ए), तारीख 16-8-1977 (सां कां नि० सं० 1184, 10-9-77)
 46. अधिसूचना सं० 12019/7/77-बी(ए), तारीख 15-9-1977 (सां कां नि० सं० 1358, 8-10-1977)
 47. अधिसूचना सं० 12019/5/76-बी(ए), तारीख 15-12-1977
 48. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 20-2-1978
 49. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 5-5-1978
 50. अधिसूचना सं० 12019/8/78-बी(ए), तारीख 26-12-1978 (सां कां नि० सं० 94/20-20-1-1979)
 51. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 18-4-1978
 52. अधिसूचना सं० 12018/1/76-बी(ए), तारीख 18-7-1980
 53. अधिसूचना सं० 12018/5/76-बी(ए), तारीख 1-11-1980
 54. अधिसूचना सं० 12019/8/77-बी(ए), तारीख 9-1-1981
 55. अधिसूचना सं० 12024/13/76-बी(ए), तारीख 8-7-1981 (सां कां नि० 722, 1-8-1981)
 56. अधिसूचना सं० 12019/1/81-बी(ए), तारीख 26-9-1981
 57. अधिसूचना सं० 12018/1/81-बी(ए), तारीख 31-8-1981 (सां कां नि० सं० 860, 19-9-1981)
 58. अधिसूचना सं० 12018/4/76-बी(ए), तारीख 31-7-1982
 59. अधिसूचना सं० 121019/1/81-बी(ए), तारीख 1-3-1983.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th August, 1983

G.S.R. 652.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio, Group 'A' Recruitment Rules, 1963, *namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' Recruitment (Second Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963, for serial No. 19 relating to the post of Officer on Special Duty (Personnel) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post of non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	7(a)	8
**19.	Deputy Director Administration (Welfare)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100-50-1600.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
			Subject to variation dependent on workload.					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	Not applicable.	By transfer on deputation	Transfer on Deputation : Officers under the Central Government/State Governments and Union Territory Administrations — (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years service in posts in the scale of Rs.700-1300 or equivalent; or (iii) with 8 years service in posts in the scale of Rs.650-1200 or equivalent; and (b) having experience of administration of Labour Laws and allied matters. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same Organisation/Department shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable.	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission."

[No. 19011/12/81-B(A)]
J. L. MATHUR, Under Secy.

*Note :- The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24 dated 23-12-1963. Subsequently the following amendments were notified :-

1. Notification No. 11/8/62-B(A) dated 9-4-1964.
2. " No.11/11/62-B(A) dated 18-6-1964.
3. " No. 5/24/62-B(A) dated 31-8-1965.
4. " No.11/2/64-B(A) dated 17-9-1965.
5. " No.11/2/64-B(A) dated 27-11-1965 (GSR No. 1820, dt. 11-12-65)
6. " No.13/78/62-B(A) dated 30-11-1965.
7. " No.5/15/65-B(A) dated 28-7-1965.
8. " No.11/8/65-B(A) dated 9-9-1966.
9. " No.5/3/67-B(A) dated 7-10-1967.
10. " No.6/107/65-TV dated 3-7-1968.
11. " No.11/5/65-B(A) dated 13-9-1968.
12. " No.7/5/68-B(A) dated 9-10-1968.
13. " No.5/12/68-B(A) dated 14-11-1968.
14. " No.17/8/68-B(A) dated 6-6-1969.
15. " No.17/6/68-B(A) dated 4-6-1969.
16. " No.11/5/65-B(A) dated 2-9-1969.
17. " No.17/2/69-B(A) dated 19-11-1969.
18. " No.17/1/69-B(A) dated 23-2-1970.
19. " No.17/3/69-B(A) dated 16-9-1970.
20. " No.1/2/70-B(A) dated 18-2-1971.
21. " No.5/12/68-B(A) dated 22-3-1971.
22. " No.1/2/71-B(A) dated 6-12-1971.
23. " No.1/2/71-B(A) dated 10-1-1972.
24. " No.1/3/70-B(A) dated 18-5-1972.
25. " No.1/9/71-B(A) dated 6-6-1972.

26.	No.5/12/68-B(A) dated 13-6-1972.
27.	No.1/6/71-B(A) dated 30-9-1972.
28.	No. 1/6/70-B(A) dated 6-12-1972.
29.	No.1/6/71-B(A) dated 30-9-1972.
30.	No.5/39/70-TV dated 3-1-1973.
31.	No.1/4/73-B(A) dated 2-6-1973.
32.	No.1/10/71-B(A) dated 10-9-1973.
33.	No.1/2/73-B(A) dated 29-9-1973.
34.	No.1/2/72-B(A) dated 26-10-1974 (GSR No. 1195, dt. 9-11-1974)
35.	No.5/33/70-B(A) dated 30-10-1974 (GSR No. 1220, dt. 16-11-74)
36.	No.1/18/73-B(A) dated 18-11-1974.
37.	No.5/17/74-B(A) dated 13-2-1975 (GSR No. 267, dt. 22-2-75)
38.	No.5/66/73-TV dated 5-4-1975.
39.	No.1/1/71-B(A) dated 30-6-1975 (GSR No. 895, dt. 19-7-75)
40.	No.1/3/75-B(A) dated 19-12-1975.
41.	No.1/8/75-B(A) dated 20-2-1976.
42.	No.5/14/75-B(A) dated 23-3-1976.
43.	No.5/10/76-B(A) dated 7-5-1976.
44.	No.1/1/73-B(A) dated 19-7-1976.
45.	No.12018/5/76-B(A) dated 16-8-1977 (GSR No. 1184, dt. 10-9-77)
46.	No.12019/7/77-B(A) dated 15-9-1977 (GSR No. 1358, dt. 8-10-1977)
47.	No.12018/5/76-B(A) dated 15-12-1977.
48.	No.12018/4/76-B(A) dated 20-2-1978.
49.	No.12018/5/76-B(A) dated 5-5-1978.
50.	No.12019/8/78-B(A) dated 26-12-78. (GSR No. 94, dated 20-1-1979)
51.	No.12018/5/76-B(A) dated 18-4-1978.
52.	No.12018/1/76-B(A) dated 18-7-1980.
53.	No.12018/5/76-B(A) dated 1-11-1980.
54.	No.12019/9/77-B(A) dated 9-1-1981.
55.	No.12024/13/76-B(A) dated 8-7-1981. (GSR No. 722, dated 1-8-81)
56.	No.12019/1/81-B(A) dated 26-9-1981.
57.	No.12018/1/81-B(A) dated 31-8-1981. (GSR, No. 860, dated 19-9-1981)
58.	No.12018/4/76-B(A) dated 31-7-1982.
59.	No.12019/1/81-B(A) dated 1-3-83.

धर्म तथा पुनर्वासि संज्ञासय

(पुनर्वासि विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1983

सं० का० नि० 653 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परलुके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा वण्डकारण्य परियोजना (स्वास्थ्य संगठन) के समूह "ग" और समूह "ब" के पदों पर भर्ती की पद्धति, 1973 में और संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाने हेतु, अधिसूचित :-

1. ये नियम वण्डकारण्य परियोजना (स्वास्थ्य संगठन) समूह "ग" और समूह "ब" पद पर भर्ती (संशोधन) नियम, 1983 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. वण्डकारण्य परियोजना (स्वास्थ्य संगठन) समूह "ग" और समूह "ब" पद पर भर्ती नियम, 1973 की अनुसूची में प्रयोगशाला तकनीकज्ञान के पद से सम्बन्धित मद संख्या 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न पद तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ
1	2	3	4	5	6	7
3. प्रयोगशाला तक- नीशियन	20	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराज-पत्रित अलिपिक-धर्मीय	380-12-500-रु० 15-560 रु०	लागू नहीं होना	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार की हितायतों तथा आदेशों के अनुसार सर-कारो कर्मचारियों के लिये 35 वर्ष तक की छूट)	आवश्यक : 1. मैट्रिक अथवा समकक्ष। 2. किसी माय्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला तकनीकन पाठ्य-क्रम पूरा करने का प्रमाण-पत्र